झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

खण्ड I

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
2. अधिनियम की धारा–2 में संशोधन।
3. अधिनियम की धारा–9 में संशोधन।
4. अधिनियम की धारा–10 में संशोधन।
5. अधिनियम की धारा–10 के पश्चात एक नई धारा–10 (क) का अन्तःस्थापन।
6. अधिनियम की धारा–11 में संशोधन।
7. अधिनियम की धारा–12 में संशोधन।
8. अधिनियम की धारा–13 में संशोधन।
9. अधिनियम की धारा–18 में संशोधन।
10. अधिनियम की धारा–19 में संशोधन।
11. अधिनियम की धारा–24 में संशोधन।
12. अधिनियम की धारा–25 में संशोधन।
13. अधिनियम की धारा–26 में संशोधन।
14. अधिनियम की धारा–35 में संशोधन।
15. अधिनियम की धारा–40 में संशोधन।
16. अधिनियम की धारा–42 में संशोधन।
17. अधिनियम की धारा–79 में संशोधन।
18. अधिनियम की धारा–80 में संशोधन।
19. अधिनियम की धारा–95 में संशोधन।
20. अनुसूची–II पार्ट–B के शीर्षक में संशोधन।
21. अनुसूची–II पार्ट–C के शीर्षक में संशोधन।
22. अनुसूची–II पार्ट–D के शीर्षक में संशोधन।
23. अनुसूची–II पार्ट–E के शीर्षक में संशोधन।
24. अनुसूची–II पार्ट–F का अन्तःस्थापन।
25. निरसन एवं व्यावृत्तियाँ।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) में संशोधन करने के लिए विधेयक

भारतीय गणराज्य की स्थापना के 62वें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा यह अधिनियम अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ (i) यह अधिनियम झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलाएगा।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह अधिनियम उस तिथि से प्रवृत्त समझी जाएगी, जिस तिथि को झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (झारखण्ड अध्यादेश संख्या 02, 2011) प्रभावी की गयी है।

2. **अधिनियम की धारा 2 में संशोधन –**

(i) अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (xii) यथा नैमित्तिक व्यापारी की परिभाषा में संशोधन –

"या अन्य मूल्यवान प्रतिफल" के बाद, निम्नांकित शब्द जोड़े जाएंगे:–

"एवं इस अधिनियम के उद्देश्यों हेतु नैमित्तिक व्यापारी का अर्थ होगा एवं इसमें इस धारा की कंडिका (xiii) में परिभाषित व्यापारी भी शामिल होंगे।

(ii) अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (xxviii) यथा इनपुट की परिभाषा में संशोधन –

'लेकिन पेट्रोल डीजल के कय को छोड़कर', एवं "तथा प्राकृतिक गैस एवं कैपिटल गुड्स के उपयोग के लिए शब्द के पूर्व, शब्द 'फर्नेश ऑयल एवं स्टीम' जोड़ा जाएगा।

(iii) अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (xlviii) यथा बिकय मूल्य की परिभाषा में संशोधन–

व्याख्या (iii) में शब्द बशर्ते यह निबंधित वैट व्यवसायी को अनुमत किया जाता है विलोपित किया जाएगा।

(iv) धारा 2 की विद्यमान कंडिका (lx) के पश्चात कंडिका (lxA) के रूप में एक नई कंडिका का अंतःस्थापन

"(lxA) माल का मूल्य से अभिप्रेत है– यदि माल बेचा गया है या खरीदा गया है, माल का सही बिकी मूल्य या सही कय मूल्य जैसा है, अन्यथा सामान परिस्थितियों में समान माल का सही बाजार मूल्य"

व्याख्या – सही बाजार मूल्य से अभिप्रेत है – वह मूल्य जिसपर माल सामान्यतया खूले बाजार में बिकी के लिए ऐसे मालों को बिकी या प्रेषण या हस्तांतरण के लिए लाया जाता है।

3. अधिनियम की धारा 9 में संशोधन –

(i) धारा 9 की उपधारा (4) की कंडिका (घ) में संशोधन

शब्द 'बन्धेज' के पश्चात एवं शब्द 'विहित' के पूर्व शब्द 'विनिर्दिष्ट या' जोड़ा जाएगा।

(ii) विधमान धारा 9 की उपधारा (4) का धारा 9 की एक नयी उपधारा (5) के रूप में अन्तस्थापन –

इस अधिनियम में अन्य बातों के रहते हुए, जब एक निबंधित व्यवसायी किसी बिकी के कम में माल की मात्रा के मामले में व्यापार छूट या प्रोत्साहन की अनुमति देता है, व्यापार छूट या प्रोत्साहन के रूप में अनुमत मात्रा को व्यवसायी द्वारा की गयी बिकी माना जाएगा, जो ऐसे व्यापार छूट या प्रोत्साहन की अनुमति देता है तथा उक्त कय जो व्यापारी ऐसे व्यापार छूट या प्रोत्साहन प्राप्त करता है तथा ऐसी बिकी को इस मामले में बिकी का अंश माना जाएगा।

4. धारा 10 में संशोधन –

(i) विद्यमान कंडिका (i) तथा धारा 10 की कंडिका– (ii) के अनुच्छेद–घ में विद्यमान धारा 9 को धारा 8 से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) विद्यमान कंडिका (i) में, शब्द उन परिस्थितियों में के पश्चात तथा शब्द उस निबंधित व्यवसायी के द्वारा के पूर्व, शब्द जिसमें धारा 9 के अन्तर्गत कोई कर भुगतेय नहीं है, को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कर का भुगतान नहीं किया गया है।

(iii) विद्यमान कंडिका (ii) में शब्द एक व्यक्ति से तथा शब्द कर के भुगतान का दायी होगा के पूर्व निम्नांकित जोड़ा जाएगा,

जहाँ इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कर कर भुगतान नहीं किया गया है।

(iv) उप कंडिका–घ के पश्चात एक नई उप कंडिका –ड. के रूप में निम्नवत् जोड़ा जाएगा–

''(ड.) अनुसूची–II पार्ट– E में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के अतिरिक्त तथा करमुक्त वस्तुएं, अनुसूची–II में विनिर्माण या प्रोसेसिंग या खनन में उपभोग या व्यवहार के पश्चात, विनिर्मित या प्रोसेस्ड या खनित वस्तुएं यदि झारखण्ड राज्य के भीतर या अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य या भारत के क्षेत्राधिकार के बाहर निर्यात के कम में बिकी के अतिरिक्त सम्पादित की जाती है।

एवं राज्य के भीतर ऐसी वस्तुओं की बिकियों पर उक्त कय की तिथि के समय उस दर से करारोपण किया जाएगा, जिस दर से करारोपण किया गया होगा।

(v) व्याख्या में शब्द 'एवं उप कंडिका–1(ii)(ग)' के पश्चात शब्द 'एवं ड.' जोड़ा जाएगा।

5. **धारा 10 के पश्चात एक नई धारा 10क का अन्तःस्थापन** – उपधारा (10) के पश्चात अधिभार का अधिरोपण।

10क(1)– इस अधिनियम की धारा 8, 9, 13, 15 एवं 17 में अन्य बातों के रहते हुए प्रत्येक व्यवसायी को उनके द्वारा भुगतेय कर के अतिरिक्त अनुसूची II पार्ट E में विनिर्दिष्ट दर के साथ–साथ विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री पर अधिभार का भुगतान करना होगा, जो उनके द्वारा भुगतेय कुल कर राशि का अधिकतम 20% होगा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसे अधिसूचना के माध्यम से सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) कर भुगतान, कर निर्धारण, कर वसूली, कर वापसी के सभी प्रावधान अधिभार के भुगतान, कर निर्धारण, कर वसूली एवं कर वापसी से संबंधित प्रावधान के अनुरूप होंगे।

(3) इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत अन्य बातों के रहते हुए भी, कोई भी व्यवसायी अधिभार की राशि की वसूली के लिए पात्र नहीं होंगे।

6. **धारा 11 में संशोधन** –

धारा 11 की उपधारा (1) में शब्द एवं संख्या धारा 9 को धारा 8 से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. **धारा 12 में संशोधन** –

इस धारा में 'विद्यमान धारा 9' को 'धारा 8' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

8. **धारा 13 में संशोधन** –

उपधारा (1) में संख्या एवं विराम चिन्ह "50%" को 75% से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

विद्यमान उपधारा (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

उपधारा (2) : अनुसूची **II** भाग **A, B, C** एवं भाग **D** (पार्ट **C,** पार्ट **D** एवं पार्ट **F** के अनुलग्नक सहित) के लिए कर दर प्रत्येक अनुसूची के समक्ष निर्धारित दर के अनुरूप होगी।

विद्यमान उपधारा (2) के बाद एक नई उपधारा (3) अन्तःस्थापित की जाएगी।

उपधारा (3) : राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस धारा की उपधारा (2) में उल्लिखित अनुसूची या उसके किसी अंश के प्रासंगिक कर दर को बढ़ा या घटा सकेगी।

बशर्ते राज्य सरकार अनुसूची **II** भाग **F** में विनिर्दिष्ट वस्तु या वस्तु समूह हेतु कतिपय शर्तों एवं बंधेज के साथ कोई कर दर विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

9. धारा 18 में संशोधन –

(i) धारा 18 की उपधारा (4) की विद्यमान कंडिका–(ii) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा –

''केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अन्तर्राज्य व्यापार एवं वाणिज्य के कम में बिकय।''

(ii) धारा 18 की उपधारा (8) की कंडिका–(ix) में संशोधन –

विद्यमान कंडिका ''ऐसे माल के संबंध में जिसका उपयोग झारखण्ड के बाहर बिकय न करके अन्य प्रकार से स्टॉक का स्थानांतरण के लिए किया जाए'' के स्थान पर निम्न प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :–

'ऐसे माल के संबंध में जिसका झारखण्ड राज्य के बाहर मालों के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त अन्तर्राज्य स्टॉक का हस्तांतरण या बिकय के लिए किया जाए।'

(iii) धारा 18 की उपधारा (8) की विद्यमान कंडिका **(xiii)** के पश्चात कंडिका (xiv) के रूप में एक नई कंडिका का अंतःस्थापन –

''ऐसे कर बीजक जो कर सहित निर्गत किये जाते हैं''

10. धारा 19 में संशोधन –

उपधारा (3) के पश्चात निम्नांकित व्याख्या जोड़ी जाएगी –

व्याख्या I – इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्य बातों के रहते हुए भी, निबंधित व्यवसायी को इनपुट टैक्स केडिट की अनुमान्यता नहीं होगी, जब ऐसे निबंधित व्यवसायी का लगातार तीन महीनों तक सकल आवर्त्त शून्य हो।

व्याख्या II – व्याख्या I धारा 22 एवं 58 के अन्तर्गत निबंधित व्यवसायियों के मामले में लागू नहीं होंगे।

व्याख्या III – इस धारा के उद्देश्य के लिए अवधि से अभिप्रेत होगा – एक कलेण्डर माह या त्रैमास या वर्ष जैसा एवं जब विहित नियमों के अन्तर्गत आवश्य होंगे।

11. धारा 24 में संशोधन –

विद्यमान उपधारा (3) के पश्चात एक नई उपधारा (4) का अन्तःस्थापन –

(4) इस धारा के अन्तर्गत अन्य बातों के रहते हुए भी, जब कभी किसी वैट व्यवसायी द्वारा टैक्स इन्वायस निर्गमन के पश्चात किसी दूसरे वैट व्यवसायी को किसी छूट या बिकी प्रोत्साहन के लिए केडिट नोट निर्गत किये जाने हों, बिकेता वैट व्यवसायी मूल टैक्स इन्वायस में मूल्य पर कर तत्व को बिना बाधित किये केडिट नोट जारी करेगा।

12. धारा 25 में संशोधन –

उपधारा (1) में शब्द 'उसे निबंधित किया गया है' के पश्चात एवं शब्द 'निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त है' के पूर्व, शब्द 'इस धारा के अन्तर्गत' जोड़ा जाएगा।

विद्यमान उपधारा (9) के पश्चात नई उपधाराएं उपधारा (10) एवं (11) के रूप में अंतःस्थापन –

(10) कोई व्यक्ति जो वर्ष में पचास हजार से अधिक बिकी मूल्य हेतु करदेय वस्तुओं के विनिर्माण के लिए राज्य में व्यवसाय स्थापित करने का इच्छुक है एवं जो राज्य में किसी औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए राज्य सरकार के उद्योग विभाग में निबंधित है, अन्य बातों के रहते हुए कि वह अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत कर भुगतान करने का दायी नहीं है, इस अधिनियम के अन्तर्गत निबंधन प्राप्त कर सकेगा।

(11) कोई व्यक्ति जो विद्युत के उत्पादन या वितरण या किसी अन्य उर्जा के स्वरूप या दूरसंचार नेटवर्क में व्यवसाय स्थापित करने का इच्छुक है, अन्य बातों के रहते हुए कि वह अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत कर भुगतान करने का दायी नहीं है, इस अधिनियम के अन्तर्गत निबंधन प्राप्त कर सकेगा।

13. धारा 26 में संशोधन –

उपधारा (1) में शब्द एवं विराम चिन्ह 'वह कर भुगतान का दायी नहीं है' के पश्चात तथा शब्द 'विहित तरीके से आवेदन करेगा' के पूर्व शब्द 'धारा 8 के अन्तर्गत' जोड़ा जाएगा।

14. धारा 35 में संशोधन –

(i) इस धारा का विद्यमान शीर्षक 'स्वकर निर्धारण' को 'कर निर्धारण एवं स्वकर निर्धारण' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उपधारा (5) के विद्यमान शब्द/ वर्णमाला (क) को विलोपित किया जाएगा।

(iii) उपधारा (5) की विद्यमान कंडिका (ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा नई उपधारा (6) के रूप में कमांकित किया जाएगा –

(6) उस परिस्थिति में यदि उपधारा (1), (2),(3), (4) एवं (5) के अन्तर्गत पड़ने वाले स्वकर निर्धारण विहित समय पर समर्पित नहीं किये गये हों, विहित प्राधिकारी विहित तरीके से तिथि, समय एवं स्थान का निर्धारण कर व्यवसायी को व्यक्तिगत तौर पर या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से लेखापुस्त एवं अन्य साक्ष्य जिसपर ऐसे व्यवसायी को विश्वास हो तथा दावा एवं ऐसे विवरणी के समर्थन में प्रस्तुत, के लिए नोटिस निर्गत करेगा तथा विवरणियों के आधार पर देय कर एवं सूद का निर्धारण करेगा, जो अभिलेख पर प्रस्तुत हों तथा सामंजन के पश्चात हो –

(i) अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली के अन्तर्गत आवश्यक साक्ष्य के द्वारा इनपुट टैक्स केडिट, विमुक्ति, छूट तथा कटौती एवं अन्य सुविधा या रिबेट।

(ii) कर भुगतान तथा कर वापसी सामंजन की अस्वीकृति जो सत्यापित न हो, या अन्यथा अनुमान्य न हो।

(iii) अधिनियम के अन्तर्गत टैक्स केडिट के अग्रेसित होने सहित टैक्स केडिट के दावे का हटाना।

(iv) अधिनियम के अन्तर्गत लागू सूद अधिरोपण

(IV) उपधारा (6) के पश्चात एक नई उपधारा (7) निम्नवत् जोड़ा जाएगा।

(7) यदि विहित प्राधिकारी संतुष्ट है कि व्यवसायी द्वारा दर्शाये गये मूल्य से अधिक पर वस्तु की बिकी की गयी है, वह बिकी के समय माल के मूल्य का निर्धारण कर सकेगा एवं ऐसे मूल्य पर कर के निर्धारण हेतु कार्रवाई करेगा।

बशर्ते कि ऐसे कार्यवाही को शुरू करने के पूर्व विहित प्राधिकृत ऐसा करने के कारणों को अंकित करेगा एवं इस उपधारा के अन्तर्गत व्यवसायी को सुनवाई का अवसर दिये बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

विद्यमान उपधारा (6) को उपधारा (8) के रूप में पुनर्कमांकित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा –

(8) उपधारा (6) के अन्तर्गत कर अवधि, जिस पर या उसके अंश पर कर अनुमान्य है, की समाप्ति के तीन वर्षो के पश्चात कोई कर निर्धारण नहीं होगा।

15. धारा 40 में संशोधन –

धारा 40 की उपधारा (2) की कंडिका (ख) में शब्द की दर पर के पश्चात एवं शब्द प्रत्येक महीने के पूर्व, शब्द दो को शब्द पाँच से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

16. धारा 42 में संशोधन –

विद्यमान उपधारा (2) के पश्चात नई उपधाराएं (3) का अन्तःस्थापन –

(3) जब भारत के कम्पट्रोलर एवं ऑडिटर जेनरल द्वारा तथ्यों या कानून से कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण या इस अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत कोई आपत्ति या टिप्पणी दर्ज किया गया हो, विहित प्राधिकारी कर निर्धारण या पुनर्कर निर्धारण या स्कूटनी जैसा भी मामला हो, उस आपत्ति या टिप्पणी के आलोक में संबंधित व्यवसायी के पुनर्कर निर्धारण आदेश के लिए कार्रवाई करेंगे।

बशर्त्ते यदि विहित प्राधिकारी ऐसी आपत्ति या टिप्पणी के कानूनी पक्ष से संतुष्ट नहीं हो तो वे अपनी मंतव्य के साथ मूल्य कर निर्धारण आदेश एवं आपत्ति या टिप्पणी के साथ आयुक्त को प्रेषित करेंगे, जिसकी प्रति कम्पट्रोलर एवं ऑडिटर जेनरल को भी अग्रसारित की जाएगी।

17. धारा 79 में संशोधन –

विद्यमान उपधारा (6) के पश्चात् उपधारा (7) के रूप में एक नई उपधारा का प्रतिस्थापन।

(7) इस धारा के अन्तर्गत ऐसे अपील दाखिल करने की तिथि के दो वर्षों के पश्चात् कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

18. धारा 80 में संशोधन –

विद्यमान धारा 80 की उपधारा (2) की कंडिका (a) में शब्द 'संयुक्त आयुक्त के द्वारा' के पश्चात शब्द ' (प्रशासन) जोड़ जाएगा।

विद्यमान धारा 80 की उपधारा (2) कंडिका (a) में शब्द 'इसके लिए विशेष रूप से प्राधिकृत को विलोपित किया जाएगा।

विद्यमान उपधारा (3) में शब्द 'पुनरीक्षण के लिए प्रत्येक आवेदन' के पश्चात तथा शब्द 'नब्बे दिनों के भीतर दायर किये जाएंगे' के पूर्व इस धारा के अन्तर्गत शब्द को इस धारा की उपधारा (2) के अन्तर्गत शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

विद्यमान उपधारा (4) में, शब्द 'आयुक्त कर सकता है' के पूर्व शब्द 'उपधारा (2) में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो' जोड़ा जाएगा।

विद्यमान उपधारा (4) में, अपने स्वप्रेरणा से शब्द के पश्चात तथा शब्द 'मांग सकता है और उसकी जांच कर सकता है' के पूर्व, शब्द 'या आवेदन पर' जोड़ा जाएगा।

विद्यमान उपधारा (4) के पश्चात एक नया परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा–

बशर्ते आयुक्त इस अधिनियम के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश या शास्ति आदेश के पुनरीक्षण के आवेदन पर ऐसे व्यापारी को निर्धारित कर या अधिरोपित शास्ति या दोनों में से राशि, जो 10 प्रतिशत से अधिक न हो, जमा करने का निदेश दे सकता है।

विद्यमान उपधारा (5) के पश्चात उपधारा (6) के रूप में एक नई उपधारा का अन्तःस्थापन –

(6) इस धारा के अन्तर्गत ऐसे अपील दाखिल करने की तिथि के दो वर्षों के पश्चात् कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

19. धारा 95 में संशोधन –

विद्यमान उपधारा (1) के पश्चात एक नये परन्तुक का अन्तःस्थापन –

"बशर्ते कि निरसित अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित व्यापारी इस अधिनियम के अन्तर्गत कर भुगतान का दायी है एवं निबंधन के लिए विहित तरीके से आवेदन समर्पित नहीं किया है, को इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु अनिबंधित माना जाएगा एवं ऐसे व्यापारियों पर धारा 28 एवं धारा 38 के प्रावधान लागू होंगे।

बशर्ते यह कि उक्त व्यवसायियों के निबंधन एवं करदाता पहचान संख्या जो नियमित रूप से विवरणी दाखिल कर रहे हैं एवं कर का भुगतान कर रहे हैं, उन्हें विहित तरीके से 1000 रूपये की शास्ति के भुगतान के साथ विनियमित किया जाएगा।

20. अनुसूची II पार्ट – B के शीर्षक में संशोधन –

विद्यमान कर दर **4%** को **5%** से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

21. अनुसूची II पार्ट – C में संशोधन –

इस अनुसूची का विद्यमान शीर्षक **4%** को **5%** से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

22. अनुसूची II पार्ट – D में संशोधन –

इस अनुसूची का विद्यमान शीर्षक "**14%** की दर से करदेय वस्तुएं" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।

23. अनुसूची II पार्ट – E में संशोधन –

1. शब्द एवं विराम चिन्ह '20 प्रतिशत एवं इससे ऊपर कर दर' को विलोपित किया जाएगा।

2. शब्द धारा 9 की उपधारा (2) को देंखे को शब्द धारा 9 की उपधारा (3) को देंखे से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

24. अनुसूची II पार्ट – F का अन्तःस्थापन –

इस भाग में किसी वस्तु या वस्तु समूह के लिए राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई दर।

25. निरसन एवं व्यावृत्तियाँ –

(i) झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2011 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा अथवा के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्गत आदेश, अधिसूचनाएं एवं अन्य कोई भी कार्यवाही या अन्य कोई कार्य इस अधिनियम द्वारा या के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया था, की गयी समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन यह कार्य किया गया था, अथवा कार्रवाई की गयी थी।

यह विधेयक झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 2 सितम्बर, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 2 सितम्बर, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 57--50--12-9-2011 ।